प्रेस विज्ञप्ति

31/01/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 25/01/2024 को 01/07/2007 से 31/05/2016 की अवधि के दौरान असंगत परिसंपत्तियां संचित करने हेतु के. बाबू, पूर्व उत्पाद शुल्क, मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री, केरल सरकार से संबंधित 25.82 लाख रुपए की एक अचल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से जब्त किया है।

ईडी ने वीएसीबी, स्पेशल सेल, एर्नाकुलम द्वारा दिनांक 31/08/2016 की एफआईआर और के. बाबू और अन्य के विरुद्ध दिनांक 23/03/2018 को दायर अंतिम रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि के. बाबू ने 01/07/2007 से 31/05/2016 की अवधि के दौरान एक जन सेवक रहते हुए 25.82 लाख रुपए की परिसंपत्तियां अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से असंगत पाई गई और इस तरह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) के तहत अपराध किया जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के तहत दंडनीय है ।

ईडी की जांच से यह भी पता चला कि के. बाबू ने 25.82 लाख रुपए की हद तक चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय व्युत्पन्न/प्राप्त की थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

***